


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड, झरिया मुकाम ब्यापन
 शंकर लाल वनाम सखार
 किस्म मुकदमा 136 CR. अ. नं. 200 सन् 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
1.7.2023	<p>प्राचीना पत्र अन्तर्गत पारा 136 CR. अ. के प्रशासन गावों के खेज अभिमान 2023 में पेश हुई सखार में किये गए रतन लाल के पिता प्राचीन पीतमल, लाल लाल राम चन्द्र, शंकर लाल पिता काशीराम पति तेली निवासी कपादन वारा प्राचीना पत्र प्राप्त कर निवेदन दिया कि मीना कपादन के खाल खेज्या 1355, 1356, 1357 में पिता का नाम काशीराम के वनाम उदयराम अंकित है। अतः मीना का नाम काशीराम अंकित दिया जावे। प्राचीना पत्र में पांच तहसीलदार कपादन ले कमी गयी पांच अनुसार प्र-प्रव-व पूर्व खाल खेज्या 513, 514 का विराजत नामान्तरण खेज्या 2248 निर्दिष्ट दिनांक 1.6.1989 में प्रकृत काशीराम पिता उदयराम के वनाम पीतमल, रामचन्द्र, शंकर लाल, लाल राम पिता उदयराम पु. वगारी वारी खेज्या काशीराम दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरण में सखार के पीतमल जी. के पिता के स्थान पर दादाजी उदयराम जी का नाम दर्ज हो गया उक्त पत्रावली संवत् 2039 से 2042 ले प्रकृत होती है। सखार खेज्या रतन लाल पिता मंत्री लाल पति तेली, रतन लाल पिता मंत्री लाल पति तेली के शरव पत्र प्राप्त किया। सखार खेज्या, सखार पत्र व तहसीलदार कपादन की स्पष्ट अनुपस्था के आधार पर प्राचीन पत्र प्राचीना पत्र खेज्या रकित पाया</p>	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी हुआ

अज्ञान में उचित प्रतीत होता है। तारीख का
तारीख पत्र तब तक रिफा पावर पीतमल
बालू बाल, गमनन्द, शंकर भाव पिठा बासीम
परिधि पाने का आदेश रिफा पाता है।
तहरीर पत्रक से जारी हो। पत्रावली केवल
धुआर क्षेत्र मन्वर से कम से। आदेश पूर्ण
गया।

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कपासन